तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एल0आर0/2002/5372</u>** **<u>निगरानी/एल0आर0/2002/5373</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.04.2019	**खण्ड–पीठ** **श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष** **श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य** **उपस्थिति :–** श्री दुलीचन्द डिढारिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री वीरेन्द्र सिंह राठोड, अधिवक्ता अप्रार्थीगण **<u>निर्णय</u>** 1– यह दोनों निगरानियों एकल पीठ के समक्ष पेश हुई थीं किन्तु वादग्रस्त भूमियों को ले कर इन्हीं पक्षकारान के मध्य खण्डपीठ अपील संख्या 2003/1661 इस मण्डल में लंबित होने के कारण उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की सहमति से एवं उनके निवेदन अनुसार इन दोनों निगरानियों में व खण्डपीठ अपील में एक साथ बहस सुनी गई थी। 2–निगरानीकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलील है कि मृतक जस्साराम द्वारा अति0 सम्भागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष एक मियाद बाहर अपील नामांतरकरण को ले कर पेश की गई थी, जिसके साथ धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 का आवेदन पत्र भी पेश हुआ था, किन्तु उस प्रार्थना पत्र को निर्णित किए वगैरा सीधे ही अपील को निर्णित कर दिया गया। इस बारे में विधिक स्थिति अत्यन्त स्पष्ट है कि कोई भी पक्षकार किसी भूमि का एक विशेष भू भाग अंतरित नहीं कर सकता है। जबकि जस्साराम ने 2 बीघा व 1 बीघा का विशेष रुप से अंतरण किया है, इसलिए यह अंतरण अवैध है तथा क्रेता को कोई हक व अधिकार उस अंतरण से नहीं मिलते हैं। इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता ने 1977 आर0आर0डी0 पेज 470 रामस्वरूप बनाम मांगू के मामले का अवलम्ब लिया है। उनकी ये भी दलील है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एल0आर0/2002/5372</u>** **<u>निगरानी/एल0आर0/2002/5373</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समक्ष जस्सासराम के वारिस गुट्टाराम को जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया गया था जब कि गुट्टाराम उनका गोद पुत्र है। गोदनामा रजि0 दस्तावेज है जिसे सिविल न्यायालय ने सही होना माना है। गुट्टाराम का जस्सा के साथ भूमि में बराबर हिस्सा है क्योंकि भूमि पैतृक है। अतः निवेदन किया गया है कि अवैध बेचान के आधार पर पारित किए गए निर्णय को अपास्त किया जाए। 4– रैस्पोण्डैट मुरली मनोहर की ओर से बहस में बताया गया है कि जस्साराम ने जरिये पंजीकृत विलेख से वादग्रस्त भूमियों का हस्तान्तरण किया था किन्तु मौजूदा अपीलार्थी श्रीराम ने स्वयं को इन वादग्रस्त भूमियों का सह खातेदार बताते हुए जिला कलक्टर, नागौर के समख अपील पेश की थी, जिसे जिला कलक्टर, नागौर ने स्वीकार कर के वादग्रस्त आराजीयात बाबत् लंबित राजस्व वाद के निर्णय अनुसार नामांतरकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इसके विरुद्ध प्रस्तुत की गई जस्साराम की अपील को अति0 सम्भागीय आयुक्त अजमेर ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया तथा प्रकरण जिला कलक्टर, नागौर को रिमाण्ड कर दिया कि वे सहायक कलक्टर, जायल द्वारा राजस्व वाद में पारित निर्णय अनुसार विधिसम्मत नामांतरकरण सम्बन्धी आदेश पुनः पारित करें। अतः निवेदन किया है कि यह निगरानियां खारिज की जावें। 5–उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। 6–इस बारे में विधिक स्थिति स्पष्ट है कि नामांतरकरण की कार्यवाही केवल वित्तीय प्रयोजनार्थ अमल में लाई जाती है। इससे पक्षकारान के वास्तविक अधिकारों का निर्णय नहीं होता है। उनके वास्तविक हक व अधिकार तो नियमित वाद	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एल0आर0/2002/5372</u>** **<u>निगरानी/एल0आर0/2002/5373</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में ही तय किए जाते हैं। वादग्रस्त आराजीयात को ले कर जो राजस्व वाद मृतक जस्साराम ने अपने जीवनकाल में प्रस्तुत किया था उसका अंतिम रुप से निस्तारण हो चुका है तथा आज पृथक से लिखाए गए निर्णय अनुसार निगरानीकर्त्तागण श्रीराम व गुट्टाराम की द्वितीय अपील भी आज इस खण्ड–पीठ द्वारा खारिज कर दी गई है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08–02–2001 को मृतक वादी जस्साराम का वाद आंशिक रुप से डिक्री करने व मौजूदा निगरानीकर्त्तागण के प्रतिवादों को खारिज करने के निर्णय व डिक्री को यथावत रखा गया है। इसलिए पक्षकारान के हित उक्तानुसार राजस्व वाद में निर्णित हो चुके हैं। अतः इन निगरानियों का काबिले खारिज है। 7– यह निगरानियां खारिज की जाती हैं तथा सहायक कलक्टर, जायल द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8–02–2001 के अनुसरण में नामांतरकरण की कार्यवाहियां अमल में लाए जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय सुनाया गया। पत्रावलियां फैसल शुमार हो कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। **(राजेन्द्र कुमार)** सदस्य **(मुकेश कुमार शर्मा)** अध्यक्ष	